

17-01-2018

आवेदकगण द्वारा श्री बी.एल. राणा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी.।

प्रथम जमानत आवेदन क्रमांक बी.ए. 9/2018 अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. के निराकरण हेतु वनपरिक्षेत्र पश्चिम बैहर के पी.ओ.आर. क्र. 2589/22 दिनांक 03.01.2018 की डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

प्रथम जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए।

आवेदक की ओर से श्री बी.एल. राणा अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है, आवेदकगण ने चिते का शिकार नहीं किया है। बाघ को आवेदकगण ने नहीं मारा है। आवेदकगण के पास से कोई जप्ती नहीं हुई है। आवेदकगण को झूठा फंसाया है। आवेदकगण के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की है।

राज्य की ओर से तर्क कर निवेदन किया है कि वन्य प्राणी अनुसूची 1 का प्राणी है, जिसका शिकार इस आवेदन के आवेदकगणों ने अन्य साक्षियों के साथ मिलकर शिकार किया है। आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

उभयपक्षों द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। पी.ओ.आर. क्र. 2589/22 दिनांक 03.01.18 की केस डायरी का अध्ययन किया गया। आवेदकगणों का जमानत आवेदन पत्र अपराध की प्रकृति को देखते हुये स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

अतः पेश आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति संबंधित केस डायरी के साथ संलग्न कर संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय बैहर को भेजी जावे।

यह आवेदन कार्यवाही नंबर से निरस्त कर, परिणाम पंजी में दर्ज कर, अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

(माखनलाल झोड)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
श्रृंखला बैहर